



सां/No. : 5-1(49)/2008-PD

दिनांक/Dated: 22.11.2022

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memoranda issued by the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare for your information, guidance and compliance:

क्रम संख्या/ Sr.No.	कार्यालय ज्ञापन संख्या/ Office Memorandum No.	विषय/ Subject
1.	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 28/91/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8331 दिनांक 11.10.2022 Office Memorandum No. 28/91/2022-P&PW(B)/8331 dated 11.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की मंजूरी- के संबंध में । Grant of Retirement Gratuity and Death Gratuity under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 - reg.
2.	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 28/91/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8331 दिनांक 11.10.2022 Office Memorandum No. 28/91/2022-P&PW(B)/8331 dated 11.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन उपदान के संदाय हेतु नामनिर्देशन - के संबंध में । Nominations for payment of Gratuity under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021- reg.
3.	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 28/91/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8331 दिनांक 11.10.2022 Office Memorandum No. 28/91/2022-P&PW(B)/8331 dated 11.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान का संदाय- के संबंध में । Payment of Gratuity on death of a Government servant under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

4.	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 28/91/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8331 दिनांक 11.10.2022 Office Memorandum No. 28/91/2022-P&PW(B)/8331 dated 11.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान का संदाय- के संबंध में । Payment of Gratuity on death of a Government servant under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.
----	--	--

भवदीय/Yours faithfully,

अवर सचिव (नीति प्रभाग) / Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy.

सं. 28/91/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8331

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003 दिनांक: 11 अक्टूबर, 2022

कार्यालय जापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की मंजूरी- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 45 के उप-नियम(1)(क) के अनुसार, ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है और जो नियम 44 के अधीन सेवा उपदान या पेंशन का पात्र हो गया है, की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति उपदान देय है। सेवानिवृत्ति उपदान की रकम, उसकी परिलब्धियों के अधिकतम साढ़े सोलह गुना के अधीन रहते हुए अर्हक सेवा की प्रत्येक संपूरित षट्मासिक अवधि के लिए उसकी परिलब्धियों के एक-चौथाई के बराबर है।

2. किसी सेवारत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उसके कुटुंब को मृत्यु उपदान नियम 45(1)(ख) में दी गई सारणी में दी गई दरों पर देय है।

3. सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां नियम 31 के अनुसार संगणित की जाती हैं। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियां उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान, कम कर दी गई हैं तो नियम 32 में यथानिर्दिष्ट औसत परिलब्धियां, परिलब्धियां मानी जाती हैं। सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान की रकम की गणना के लिए सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता परिलब्धियां माना जाता है। नियम 45 के अधीन अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान की अधिकतम रकम बीस लाख रुपये है।

जारी

4. नियम 45 के अधीन अर्हक सेवा काल की गणना करने में वर्ष का ऐसा भाग, जो तीन मास के बराबर या उससे अधिक हो, संपूरित षट्मासिक अवधि माना जाता है और उसकी गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती है। ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसने चार वर्ष और नौ मास या अधिक किन्तु पांच वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा दी है, इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी अर्हक सेवा पांच वर्ष की होगी और वह सेवानिवृत्ति उपदान के लिए पात्र होगा।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की मंजूरी के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लएं।

रिडरेक्ट

(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

सं. 28/91/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8331

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली-110003 दिनांक: 11 अक्टूबर, 2022

कार्यालय जापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन उपदान के संदाय हेतु नामनिर्देशन-के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 46, नियम 45 के अधीन देय उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने के लिए नामनिर्देशन से संबंधित है।

2. नियम 45 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपदान के संदाय के प्रयोजन के लिए

- (i) पुरुष सरकारी कर्मचारी की दशा में, पत्नी या पत्नियां; जिसमें न्यायिकतः पृथक्कृत पति या पत्नियां भी हैं;
- (ii) स्त्री सरकारी कर्मचारी की दशा में, पति जिसमें न्यायिकतः पृथक्कृत पति भी हैं;
- (iii) पुत्र, जिनके अंतर्गत सौतेले पुत्र और दत्तक गृहित पुत्र भी हैं;
- (iv) अविवाहित पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;
- (v) विधवा या तलाकशुदा पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;

जारी -

- (vi) पिता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी हैं;
- (vii) माता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी हैं;
- (viii) बिना किसी आयु सीमा के ऐसे भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं, जो मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हैं अथवा शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं और अन्य मामलों में, अठारह वर्ष से कम आयु के भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं;
- (ix) अविवाहित बहनें, विधवा बहनें और तलाकशुदा बहनें जिसके अंतर्गत सौतेली बहनें भी हैं;
- (x) विवाहित पुत्रियां; और
- (xi) पूर्व-मृत पुत्र के बच्चे।

के उद्देश्य से परिवार का अर्थ है:

नियम 46 अन्य बातों की साथ-साथ यह भी प्रावधान करता है कि यदि उपरोक्तानुसार सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में एक या एक से अधिक सदस्य हैं तो नामनिर्देशन उसके कुटुंब के किसी भी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में होगा।

3. यदि सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब नहीं है तो, नामनिर्देशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के निकट, चाहे वह निगमित हो या न हो, के पक्ष में किया जा सकता है।


4. सरकारी कर्मचारी नामनिर्देशन में नामनिर्देशितियों में से प्रत्येक के अंश की रकम को विनिर्दिष्ट करेगा। अन्य व्यक्ति (वैकल्पिक नामिती) का नाम और विवरण जिसे नामनिर्देशन पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा यदि नामनिर्देशिती की मृत्यु, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से पहले ही हो जाए अथवा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात् किन्तु उपदान की रकम प्राप्त करने से पूर्व हो जाए।

जायी -

5. जहाँ नामनिर्देशन करते समय किसी सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब न हो, सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन उस दशा में अविधिमान्य हो जाएगा यदि उस सरकारी कर्मचारी का बाद में कोई कुटुंब हो जाये। अविवाहित सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कुटुंब के किसी भी सदस्य के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन, उसके विवाह होने पर अविधिमान्य नहीं होगा जब तक कि सरकारी कर्मचारी पूर्व नामनिर्देशन को रद्द नहीं करता और नया नामनिर्देशन दर्ज नहीं करता।

6. यह सत्यापित करना कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन इस नियम के उपबंधों के अनुसार है और यदि, सरकारी कर्मचारी का कुटुंब है, तो नामनिर्देशन कुटुंब के एक या एक से अधिक सदस्य के पक्ष में किया गया है। कार्यालय अध्यक्ष, अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के नामनिर्देशन के प्ररूपों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है। उसके बाद, कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करते हुए नामनिर्देशन पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा। वह नामनिर्देशन की प्राप्ति के बारे में उपयुक्त प्रविष्टि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में भी करेगा। नामनिर्देशन प्ररूप की एक विधिवत हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए वापस की जाएगी।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन उपदान के संदाय हेतु नामनिर्देशन के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।


(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

सं. 28/91/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8331

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003 दिनांक: 11 अक्टूबर, 2022

कार्यालय जापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान का संदाय- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 47 किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में उपदान के संदाय से संबंधित है।

2. नियम 45 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के साथ पठित नियम 47(1)(ख) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उपदान का संदाय, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जाएगा जिन्हें उपदान प्राप्त करने का अधिकार नामनिर्देशन द्वारा प्रदत्त किया गया है। यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है या यदि किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है तो उपदान का संदाय निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले कुटुंब के सभी उत्तरजीवी सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में किया जाएगा:

- (i) पुरुष सरकारी कर्मचारी की दशा में, पत्नी या पत्नियां; जिसमें न्यायिकतः पृथक्कृत पति या पत्नियां भी हैं;
- (ii) स्त्री सरकारी कर्मचारी की दशा में, पति जिसमें न्यायिकतः पृथक्कृत पति भी हैं;
- (iii) पुत्र, जिनके अंतर्गत सौतेले पुत्र और दत्तक गृहित पुत्र भी हैं;
- (iv) अविवाहित पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;
- (v) विधवा या तलाकशुदा पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;

जाती-

यदि ऊपर उल्लिखित कुटुंब के ऐसे कोई उत्तरजीवी सदस्य नहीं हैं, तो उपदान का संदाय निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले कुटुंब के सभी उत्तरजीवी सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में किया जाएगा:

- (vi) पिता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी हैं;
- (vii) माता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी हैं;
- (viii) बिना किसी आयु सीमा के ऐसे भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं, जो मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हैं अथवा शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं और अन्य मामलों में, अठारह वर्ष से कम आयु के भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं;
- (ix) अविवाहित बहनें, विधवा बहनें और तलाकशुदा बहनें जिसके अंतर्गत सौतेली बहनें भी हैं;
- (x) विवाहित पुत्रियां; और
- (xi) पूर्व-भूत पुत्र के बच्चे।

3. उपरोक्त प्रावधान उन मामलों में भी लागू होते हैं जहां किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात् उपदान प्राप्त किए बिना हो जाती है।

4. यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात् उपदान की रकम प्राप्त किए बिना हो जाती है तथा अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ जाता है और-(क) कोई नामनिर्देशन नहीं किया है, या (ख) उसके द्वारा किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान की रकम सरकार को व्ययगत हो जाएगी। तथापि, मृत्यु उपदान या सेवानिवृत्ति उपदान की रकम का संदाय उस व्यक्ति को किया जा सकता है जिसके पक्ष में न्यायालय द्वारा विचाराधीन उपदान के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र दिया गया है।

जारी -

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान के संदाय के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

सिद्धार्थ
(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

सं. 28/91/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8331

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003 दिनांक: 11 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान का संदाय- के संबंध में।

उधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है; केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 65 उपदान, पेंशन और कुटुंब पेंशन के विलंबित संदाय पर ब्याज से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 65 नियम के अनुसार, ऐसे सभी मामलों में जहां उन नियमों के अनुसार अनंतिम पेंशन या अनंतिम कुटुंब पेंशन या अनंतिम उपदान मंजूर नहीं किया गया है अथवा जहां पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान का संदाय के प्राधिकार में विलंब किया गया है और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण माना जा सकता है तो पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान के बकायों पर, सामान्य भविष्य निधि रकम पर यथासांग दर दर और ऐसी रीति में ब्याज संदत किया जाएगा। तथापि, यदि संदाय में विलंब, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के सदस्य द्वारा पेंशन या कुटुंब पेंशन मामलों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुपालन में असफलता के कारण हुआ है तो कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3. पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान(अनंतिम पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान सहित) के विलंबित संदाय के सभी मामलों पर, मंत्रालय या विभाग के कर्मचारियों और इसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों की बाबत उस मंत्रालय या विभाग के सचिव या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो, द्वारा विचार किया जाएगा और यदि सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान के संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ था, तो ब्याज का संदाय उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।

जाये

4. विभाग या कार्यालय उस सरकारी कर्मचारी या उन कर्मचारियों का उत्तरदायित्व नियत करेगा जो प्रशासनिक चूक के कारण उपदान या पेंशन या कुटुंब पेंशन के संदाय में विलंब के लिए दायीं पये जाते हैं और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। अनुशासनिक कार्यवाहियों, यदि कोई हो, के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना, ब्याज का संदाय सचिव या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर किया जाएगा।

5. पेंशन या उपदान के संदाय में विलंब होने पर जिस अवधि के लिए ब्याज देय होगा, वह निम्नलिखित रीति से अवधारित की जायेगी, अर्थात:-

(क) अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारी की दशा में सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से, पेंशन या उपदान या दोनों के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज संदेय होगा;

(ख) अधिवर्षिता से अन्यथा सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त किये गए या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी स्वायत्त निकाय में आनेलित अथवा सेव के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिवंगत हुए सरकारी कर्मचारी की दशा में, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या आमेसन या मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से, पेंशन या उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज संदेय होगा;

(ग) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे सेवानिवृत्ति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर अन्तिम पेंशन संदाय किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय नहीं किया गया था और जो ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर सभी आरोपों से दोषमुक्त हो गया है, सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से पेंशन और उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा;


(घ) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे सेवानिवृत्ति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर अन्तिम पेंशन संदाय किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय नहीं किया गया था और ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर सभी आरोपों से पूर्णतः दोषमुक्त न होने के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान के पूर्णतः या भागतः संदाय की अनुज्ञा देने का निर्णय करता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन और उपदान के संदाय का आदेश जारी किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से पेंशन और उपदान के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा।

(ङ) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे सेवानिवृत्ति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर अन्तिम पेंशन संदाय किया गया था और उपदान का संदाय नहीं किया गया था और ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां उसकी मृत्यु होने के परिणामस्वरूप बंद कर दी जाती है, मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से पेंशन, कुटुंब पेंशन और उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा।

जारी -

(च) जहाँ प्राधिकृत पेंशन की रकम में वृद्धि होने के कारण सरकारी कर्मचारी को पेंशन या उपदान की बकाया रकम अथवा परिलब्धियों के पूर्वव्यापी संशोधन अथवा पेंशन या उपदान अनुज्ञा देने से संबंधित उपबंधों में उदारीकरण के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति पर संदल की गई उपदान की बकाया रकम देय हो जाती है, यथास्थिति, परिलब्धियों को संशोधित करने या पेंशन या उपदान की अनुज्ञा से संबंधित उपबंधों को उदार बनाने के आदेश के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख से सरकारी कर्मचारी को पेंशन या उपदान की बकाया रकम, पेंशन या उपदान के बकायों के भुगतान की तारीख तक ब्याज देय होगा।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन उपदान, पेंशन और कुटुंब पेंशन के विलंबित संदाय पर ब्याज के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटारा करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।


(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/91/2022-P&PW(B)/8331
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 11th October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of Retirement Gratuity and Death Gratuity under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with sub-rule (1)(a) of Rule 45 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, retirement gratuity is admissible on retirement of a Government servant, who has completed five years' qualifying service and has become eligible for service gratuity or pension under Rule 44. The amount of retirement gratuity is equal to one-fourth of the emoluments for each completed six monthly period of qualifying service, subject to a maximum of 16½ times the emoluments.


2. On death of a Government servant while in service, the death gratuity is payable to his family at the rates given in the Table in Rule 45(1)(b).

3. The emoluments for the purpose of retirement/death gratuity are reckoned in accordance with rule 31. If the emoluments of a Government servant have been reduced during the last ten months of his service, average emoluments as referred to in rule 32 are treated as emoluments. Dearness allowance admissible on the date of retirement or death is also treated as emoluments for calculating the amount of retirement/death gratuity. The maximum amount of retirement gratuity or death gratuity admissible under Rule 45 is twenty lakh rupees.

4. In calculating the length of qualifying service under Rule 45, fraction of a year equal to three months and above is treated as a completed six monthly period and reckoned as qualifying service. In the case of a Government servant who has rendered a qualifying service of four years and nine months or more but less than five years, his qualifying service for the purpose of this rule shall be five years and he shall be eligible for retirement gratuity.

Contd.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding grant of Retirement Gratuity and Death Gratuity under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.


(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations.
(As per standard list)

No. - 28/91/2022-P&PW(B)/8331
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 11th October, 2022

OFFICE MEMDRANDUM

Subject: Nominations for payment of Gratuity under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 46 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with nominations for conferring the right to receive gratuity payable under rule 45.

2. As per Explanation below Rule 45, family for the purpose of payment of gratuity means:

- (i) wife or wives including judicially separated wife or wives in the case of a male Government servant;
- (ii) husband, including judicially separated husband in the case of a female Government servant;
- (iii) sons including stepsons and adopted sons;
- (iv) unmarried daughters including stepdaughters and adopted daughters;
- (v) widowed or divorced daughters including stepdaughters and adopted daughters;
- (vi) father including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption;
- (vii) mother including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption;
- (viii) brothers including stepbrothers who are suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded or physically crippled or disabled without any limit of age and brothers, including stepbrothers, below the age of eighteen years, in other cases;
- (ix) unmarried sisters, widowed sisters and divorced sisters including stepsisters;

Contd.

- (x) married daughters; and
- (xi) children of a pre-deceased son.

Rule 46 inter alia provides that if the Government servant has one or more members of family as mentioned above, the nomination shall be in favour of any member or members of his family.


3. If the Government servant has no family, the nomination can be made in favour of a person or persons, or a body of individuals, whether incorporated or not.

4. The Government servant shall specify in the nomination the share of each nominee. The Government servant shall also specify the name and details of the other person(s) (alternate nominee) to whom the right conferred on a nominee shall pass if the nominee predeceases the Government servant or dies after the death of the Government servant but before receiving the payment of gratuity.

5. Where a Government servant has no family at the time of making a nomination, any nomination made by the Government servant in favour of a person or a body of individuals shall become invalid, if the Government servant subsequently acquires a family. Nomination made by an unmarried Government servant in favour of any member of his family shall not become invalid on his or her marriage, unless the Government servant cancels the earlier nomination and files a fresh nomination.

6. It is the responsibility of the Head of Office to verify that the nomination made by the Government servant is in accordance with the provisions of this rule and, if the Government servant has a family, the nomination made is in favour of one or more members of the family. The Head of Office may, however, authorise his subordinate Gazetted Officers to countersign nomination forms of non-gazetted Government servants. The Head of Office or the authorised officer shall, thereafter, countersign the nomination indicating the date of receipt and keep it under his custody. He will also make suitable entry regarding receipt of nomination in the service book of the Government servant concerned. A duly signed copy of the nomination form shall be returned to the Government servant for keeping it in his safe custody.

7. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding nominations for Gratuity under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/ Department and attached /subordinate offices thereunder, for strict implementation.



(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

No. - 28/91/2022-P&PW(B)/8331
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 11th October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Gratuity on death of a Government servant under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 47 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 deals with payment of gratuity in the event of death of a Government servant.

2. In accordance with Rule 47(1)(b) read with the Explanation below Rule 45. on death of a Government servant, the gratuity shall be paid to the person or persons on whom the right to receive the gratuity is conferred by means of a nomination. In case there is no such nomination or if the nomination made does not subsist, the gratuity shall be paid to all surviving members of the family falling in the following categories, in equal shares:

- (i) wife or wives including judicially separated wife or wives in the case of a male Government servant;
- (ii) husband, including judicially separated husband in the case of a female Government servant;
- (iii) sons including stepsons and adopted sons;
- (iv) unmarried daughters including stepdaughters and adopted daughters;
- (v) widowed or divorced daughters including stepdaughters and adopted daughters;

If there are no such surviving members of the family as mentioned above, the gratuity shall be paid to all surviving members of the family falling in the following categories, in equal shares :

- (vi) father including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption;

contd.

(vii) mother including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption;

(viii) brothers including stepbrothers who are suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded or physically crippled or disabled without any limit of age and brothers, including stepbrothers, below the age of eighteen years, in other cases;

(ix) unmarried sisters, widowed sisters and divorced sisters including stepsisters;


(x) married daughters; and

(xi) children of a pre-deceased son.

3. The above provisions also apply in cases where a Government servant dies after retirement without receiving the retirement gratuity.

4. If a Government servant dies while in service or after retirement without receiving the amount of gratuity and leaves behind no family and (a) has made no nomination, or (b) the nomination made by him does not subsist, the amount of retirement gratuity or death gratuity shall lapse to the Government. However, the amount of death gratuity or retirement gratuity may be paid to the person in whose favour a Succession Certificate in respect of the gratuity in question has been granted by a Court of Law.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding payment of Gratuity on death of a Government servant under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.



(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,

(As per standard list)

Nn. - 28/91/2022-P&PW(B)/8331
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lnk Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 11th October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Gratuity on death of a Government servant under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021- reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 65 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 deals with payment of interest on delayed payment of gratuity, pension and family pension.

2. As per Rule 65 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, in all cases where provisional pension or provisional family pension or provisional gratuity has not been sanctioned in accordance with these rules or where authorisation of payment of pension or family pension or gratuity has been delayed, and it is clearly established that the delay in payment was attributable to administrative reasons or lapses, interest shall be paid on arrears of pension or family pension or gratuity at the rate and in the manner as applicable to General Provident Fund amount. However, if the delay in payment was caused on account of failure on the part of the Government servant or the pensioner or the member of the family of the Government servant to comply with the procedure laid down by the Government for processing the pension or family pension case, no interest shall be payable.

3. All cases of delayed payment of pension or family pension or gratuity (including provisional pension or family pension or gratuity) in respect of employees of a Ministry or Department and the employees of its attached and subordinate offices shall be considered by the Secretary of that Ministry or Department or any other officer, not below the level of Joint Secretary to the Government of India, authorised by him for this purpose, and where the Secretary or the officer authorised by him is satisfied that the delay in the payment of pension or family pension or gratuity was caused on account of administrative reasons or lapse, payment of interest shall be authorised by him.

4. The Department or Office shall also fix the responsibility and take disciplinary action against the Government servant(s) who are found responsible for the delay on account of administrative lapses. Interest shall be paid within two months from the date on which it has been sanctioned by Secretary or the officer authorised by him without waiting for the outcome of the disciplinary proceedings, if any.

Contd.

5. The period for which interest shall be payable for the delay in payment of pension or gratuity shall be determined in the following manner, namely:-

(a) In the case of a Government servant who retires on superannuation, interest shall be payable from the date following the date of expiry of a period of three months from the date of retirement, up to the date of payment of arrears of pension or gratuity or both;

(b) In the case of a Government servant who retires or is retired otherwise than on superannuation or is absorbed in a public sector undertaking or an autonomous body or dies during service or after retirement, interest shall be payable from the date following the date of expiry of a period of three months from the date of retirement or absorption or death, as the case may be, up to the date of payment of arrears of pension or gratuity;

(c) In the case of a Government servant to whom provisional pension was paid and retirement gratuity was not paid on retirement on account of departmental or judicial proceedings pending against him on the date of retirement and who is exonerated of all charges on conclusion of such departmental or judicial proceedings, interest shall be payable on retirement gratuity and arrears of pension, if any, from the date following the date of expiry of a period of three months from the date of retirement up to the date of payment of arrears of pension and gratuity;


(d) In the case of a Government servant to whom provisional pension was paid and retirement gratuity was not paid on retirement on account of departmental or judicial proceedings pending against him on the date of retirement and despite him not having been fully exonerated of all charges on conclusion of such departmental or judicial proceedings, the competent authority decides to allow payment of pension and retirement gratuity, either in full or in part, interest shall be payable on retirement gratuity and arrears of pension, if any, from the date of expiry of a period of three months from the date on which the order for payment of pension and gratuity is issued by the competent authority up to the date of payment of pension and gratuity.

(e) In the case of a Government servant to whom provisional pension was paid and gratuity was not paid on retirement on account of departmental or judicial proceedings pending against him on the date of retirement and such departmental or judicial proceedings are dropped consequent on his death, interest shall be payable on arrears of pension, family pension and gratuity from the date of expiry of a period of three months from the date of death up to the date of payment of such arrears of pension, family pension and gratuity.

Contd.

(1) Where arrears of pension or gratuity become payable to a Government servant on account of enhancement of the amount of pension authorised or the amount of gratuity paid on retirement consequent on retrospective revision of emoluments or liberalisation in the provisions relating to grant of pension or gratuity, interest shall be payable on arrears of pension or gratuity to the Government servant from the date of expiry of a period of three months from the date of issue of the order revising the emoluments or liberalising the provisions relating to grant of pension or gratuity, as the case may be, up to the date of payment of arrears of pension or gratuity.

6. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding payment of interest on **delayed payment of gratuity, pension and family pension** under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.


(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)